


<p>तारिख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.106/2023</p>	<p>नम्बर व दिनांक अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए</p>
<p>18.7.2023</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही अनुपस्थित। प्रतिवादी महेन्द्र पुत्र मांगीलाल, जाति- मेघवाल, निवासी- इदनी, तहसील- बाली, जिला- पाली, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म जय माता दी दूध डेयरी, अम्बिका चौक, शिवगंज, जिला- सिरौही एवं प्रतिवादी पटल कुमार जैन पुत्र मोहनलाल जैन, निवासी- कलापुरा, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरौही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म जय माता दी दूध डेयरी, अम्बिका चौक, शिवगंज, जिला- सिरौही उपस्थित।</p> <p>आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादी के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 22.12.2022 को फर्म जय माता दी दूध डेयरी, अम्बिका चौक, शिवगंज में प्रतिवादी महेन्द्र से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ घी का नमूना संख्या S-1958 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./2135/Act/2022/23 दिनांक 04.1.2023 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में प्रतिवादीगण ने ने इस न्यायालय में आज दिनांक 18.7.2023 को उपस्थित होकर जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादीगण को सुना गया। प्रतिवादी महेन्द्र ने अनुरोध किया कि वह जय माता दी दूध डेयरी में नौकरी करता है एवं जय माता दी दूध डेयरी के मालिक पटल कुमार जैन है। प्रतिवादी पटल कुमार ने यह अनुरोध किया कि यह उसका प्रथम अपराध है व भविष्य में अमानक घी का विक्रय नहीं करेगा। अतः कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करावे।</p> <p>हमने पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही (हाल निलम्बित) ने दिनांक 22.12.2022 को फर्म जय माता दी दूध डेयरी, अम्बिका चौक, शिवगंज, जिला- सिरौही में प्रतिवादी/विक्रेता महेन्द्र से 12 ग्राम खाद्य पदार्थ घी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु गवाह के समक्ष कीमतन क्रय कर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ घी के नमूना संख्या S-1958 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./2135/Act/2022/23 दिनांक 04.1.2023 के अनुसार अमानक (sub-standard) पाया गया है। इससे, यह स्पष्ट है कि फर्म जय माता</p>	<p>.....लगाता</p>



वति, शिवगंज
सिरौही-307001.



तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.106/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	<p>दी दूध डेयरी, अम्बिका चौक, शिवगंज में प्रतिवादी विक्रेता महेन्द्र ने अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी महेन्द्र जो कि फर्म जय माता दी दूध डेयरी, अम्बिका चौक, शिवगंज में नौकरी करता है एवं फर्म जय माता दी दूध डेयरी का मालिक पटल कुमार जैन है।</p> <p>अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ घी के विक्रय हेतु प्रतिवादी पटल कुमार जैन पुत्र मोहनलाल जैन, निवासी- कलापुरा, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म जय माता दी दूध डेयरी, अम्बिका चौक, शिवगंज, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 5,000/- (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी पटल कुमार जैन को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 18.8.2023 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> <i>d</i> (के.आर.खौड़) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिरोही </p>	